

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मे0न0

96 / 2022

तारीख फैसला

13.08.2022

उनवान

1- मोना उर्फ मोनू शर्मा पुत्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादीनी)

बनाम

1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से - श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनी के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 357 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.50 हे0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.56 हे0, खसरा नम्बर 299/456 रकबा 0.37 हे0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.07 हे0, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.87 हे0, खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 1912 रकबा 2.81 हे0, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.23 हे0, खसरा नम्बर 1918 रकबा 0.15 हे0, खसरा नम्बर 1920 रकबा 1.19 हे0, कुल 12 कित्ता रकबा 6.84 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादीनी का नाम मोना पुत्री राधेश्याम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 सलग्न है।

यह कि वादीनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम मोना के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीनी का वास्तविक नाम मोनू शर्मा है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादीनी का नाम मोनू शर्मा है। उपरोक्त शामलाती खाते में से कुछ भूमि नानेरा बान्ध परियोजना में अधिगृहण हो चुकी है परन्तु वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोना व दस्तावेज मोनू शर्मा होने से मुआवजा प्राप्त करने में परेशानी आ रही है व अन्य सरकार योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनी के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 357 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.50 हे0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.56 हे0, खसरा नम्बर 299/456 रकबा 0.37 हे0, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.07 हे0, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.87 हे0, खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 1912 रकबा 2.81 हे0, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.23 हे0, खसरा नम्बर 1918 रकबा 0.15 हे0, खसरा नम्बर 1920 रकबा 1.19 हे0, कुल 12 कित्ता रकबा 6.84 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादीनी का नाम मोना पुत्री राधेश्याम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 सलग्न है।

दिनांक

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

खसरा नम्बर 343 रकबा 0.04 हे०, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.07 हे०, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.87 हे०, खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.01 हे०, खसरा नम्बर 1912 रकबा 2.81 हे०, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.23 हे०, खसरा नम्बर 1918 रकबा 0.15 हे०, खसरा नम्बर 1920 रकबा 1.19 हे०, कुल 12 किता रकबा 6.84 हे० भूमि में वादीनी का नाम मोना के स्थान पर मोनू शर्मा दर्ज किये जाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार मोना शर्मा व मोनू शर्मा एक ही महिला होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादीनी का नाम मोना पुत्र राधेश्याम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनी के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 357 रकबा 0.04 हे०, खसरा नम्बर 389 रकबा 0.50 हे०, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.56 हे०, खसरा नम्बर 299/456 रकबा 0.37 हे०, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.04 हे०, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.07 हे०, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.87 हे०, खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.01 हे०, खसरा नम्बर 1912 रकबा 2.81 हे०, खसरा नम्बर 890 रकबा 0.23 हे०, खसरा नम्बर 1918 रकबा 0.15 हे०, खसरा नम्बर 1920 रकबा 1.19 हे०, कुल 12 किता रकबा 6.84 हे० भूमि वादीनी का नाम मोना पुत्री राधेश्याम के स्थान पर मोनू पुत्री राधेश्याम दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप दीगोद में सुनाया गया।

ई.ए.

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

— Swamdas
सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

ll

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

गुप्त पीपल्दा बीरम क.नं. 1911, 1912, 890,
1918 व 1920 के गुप्त कोटा जिला कोटा परावली

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)